–: राजस्थान सरकार:–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– ब्रह्मलाल जाट (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 40/2022 जीसीएमएस नं0 2022/43

उनवान प्रकरण

पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर राज0

.....**आवेदक**

बनाम

1. श्याम बाबू गोयल पुत्र श्री भगवान दास, मैसर्स कल्लूराम खचेरमल मोदी जी का तिराहा दशहरा रोड धौलपुर, निवासी हैदरसाहब का बाडा धौलपुर

.....**अभियुक्त**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :–

आवेदक की ओर से :– श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अभियुक्त की ओर से :– कुसुमाकर गर्ग , एडवोकेट

निर्णय **दिनांक 25.04.2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 16.10.2021 को दोपहर 02.30 बजे मैसर्स कल्लूराम खचेरमल मोदी जी का तिराहा दशहरा रोड धौलपुर पर पहुँचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे , तो उसने अपना नाम श्याम बाबू गोयल पुत्र श्री भगवान दास, मैसर्स कल्लूराम खचेरमल मोदी जी का तिराहा दशहरा रोड धौलपुर, निवासी हैदरसाहब का बाडा धौलपुर बताया एवं उनसे फर्म की खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने हेतु कहा तो उन्होने खाद्य अनुज्ञापत्र संख्या 12214022000070 होना जाहिर किया ।

Scanned with OKEN Scanner

-: राजस्थान सरकार:-

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 40/2022 सरकार बनाम श्यामबाबू गोयल

निरीक्षण के दौरान दुकान में लगभग 05 क्विंटल बेसन (सांई कृपा भोग) आमजन को विक्रय करने हेतु रखा था । उक्त बेसन (सांई कृपा भोग) में मिलावट का शक हुआ तो परिवादी ने उक्त बेसल (सांई कृपा भोग) का नमूना जॉच देते हेतु कहा और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 (ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये । विक्रेता की उक्त बेसल (सांई कृपा भोग) में से 500-500 ग्राम के चार पैकेट बेसल (सांई कृपा भोग) नमूना जॉच के लिए खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 140/(एक सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 04 पैकेट बेसल (सांई कृपा भोग) को विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर मूल ही पैकेट सहित 04 नमूने भाग तैयार किये। पैकेटों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड कमांक डी-2185 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम ,पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये । चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाली कागज में लपटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी-2185 नियमानुसार चारों नमूना भागों को चिपकाकर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ.कर सुनाकर ,समझाकर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म vi की छः प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सी बन्द किये । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या vi की एक प्रति चिपकाकर एवं सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं पुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र कमांक 393 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एलएस/205/एक्ट/2022/228 दिनांक 22.11.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया पान मसाला (करमचंद) मिसब्राण्ड (Misbrand) प्रकृति का पाया गया । उक्त केस में मिसब्राण्ड (Misbrand) का विक्रय करके विक्रेता श्री श्याम बाबू गोयल पुत्र श्री भगवान दास, मैसर्स कल्लूराम खचेरमल मोदी जी का तिराहा दशहरा रोड धौलपुर, निवासी हैदरसाहब का बाडा धौलपुर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो मिसब्राण्ड प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है । अतः प्रकरण में उचित जुर्माना करने का अनुरोध किया है ।

Om

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित हुये। साथ ही अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा जबाव पेश किया। जबाव में अंकित किया कि पदम सिंह परमार द्वारा दिनांक 16.10.2021 को बेसन (सांई कृपा भोग) का नमूना लेना बताया है किन्तु जब नमूना लिया तब वह मिस ब्राण्ड नहीं था क्योंकि नमूने के बाहरी आवरण को खुली आंखों द्वारा देखा जा सकता है और जब नमूना लिया तब श्री पदम सिंह परमार द्वारा मौके पर फर्द रिपोर्ट बनाई उस फर्द रिपोर्ट में मिसब्राण्ड का हवाला नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जब नमूना लिया तब वह मिसब्राण्ड नहीं था। जब बेसन (सांई कृपा भोग) का नमूना लिया तो किस बैच नंबर, किस मैन्युफैकचरिंग डेट, किस एक्सपायरी डेट/वेस्ट विफोर का नमूना लिया यह बात नमूना लेते समय मौके पर जो फर्द रिपोर्ट बनाई जाती है उस फर्द रिपोर्ट में अंकित नहीं है। अगर उक्त तीनों चीजें सैम्पल लेते समय अंकित नहीं थी तो श्री पदम सिंह परमार फर्द रिपोर्ट बनाते समय कमियां अंकित करते किन्तु फर्द रिपोर्ट में ऐसा अंकन नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बेसन (सांई कृपा भोग) मिसब्राण्ड नहीं था। धारा 46 (4) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कोई सूचना श्याम बाबू पुत्र श्री भगवान को प्राप्त हुई ऐसा कोई अभिस्वीकृति पत्र इस पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस कारण प्रार्थी का धारा 46 (4) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का कीमती अधिकारी मारा गया। दिनांक 16.07.2011 को श्री पदम सिंह परमार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला धौलपुर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.1.3 के खण्ड 2 व 3 के तहत दी गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी और मानक नियम 2.1.3 के खण्ड 2 व 3 के तहत नियुक्त किये गये खाद्य सुरक्षा अधिकारी इन नियमों के प्रारम्भ से अर्थात नियुक्त होने के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के भीतर खाद्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिपादित विशेष ट्रेनिंग पूरी करेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में श्री पदम सिंह परमार को दिनांक 26.07.2011 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया था और दिनांक 25.07.13 तक श्री पदम सिंह परमार को खाद्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिपादित विशेषकृत ट्रेनिंग पूरी कर लेनी चाहिए थी परन्तु श्री पदम सिंह परमार ने कोई विशेषकृत ट्रेनिंग की ऐसा कोई विशेषकृत ट्रेनिंग प्रमाण पत्र इस पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस कारण पदमसिंह परमार का दिनांक 16.10.21 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी होना साबित नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.1.3 के खण्ड 2 व 3 के परन्तुक की पालना न होने के कारण श्री पदमसिंह परमार द्वारा दिनांक 16.10.21 को सैम्पल (नमूना) लेने की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हो जाती है अर्थात हो जाती है इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है। दिनांक 16.10.2021 को पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत नमूना लेना बताया है। और नमूना लेना जिस फर्म मैसर्स कल्लूराम खचेरमल मोदी जी का तिराहा दशहरा रोड धौलपुर से बताया है किन्तु उक्त फर्म मैसर्स कल्लूराम खचेरमल मोदी जी का तिराया दशहरा रोड धौलपुर के विरूद्ध न तो कोई अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है और न ही उसे पृथक से अभियुक्त बनाया गया है। इस कारण स्वीकृति के अभाव में एवं फर्म को मुल्जिम न बनाये जाने के कारण प्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता है। । धारा 43 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में कौन–कौनसी प्रयोगशालाएं निरीक्षण करने के लिए मान्य होगी। इस बावत इन प्रयोगशालाओं का राज्य दर राज्य भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यारित प्रयोग शालाओं की सूची राजस्थान राज्य के संदर्भ में जारी हुई। public health laboratory bharatpur

Scanned with OKEN Scanner

(rajasthan) का नाम इस सूची में नहीं है। अर्थात लैब accretade lab नहीं है। इस कारण भरतपुर की लैबोरेट्री के आधार पर प्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भी प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है।

प्रकरण में पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने कथनों में प्रस्तुत जबाव को दौहराते हुए कहा कि पदम सिंह परमार द्वारा दिनांक 16.10.2021 को बेसन (सांई कृपा भोग) का नमूना लेना बताया है किन्तु जब नमूना लिया तब वह मिस ब्राण्ड नहीं था क्योंकि नमूने के बाहरी आवरण को खुली आंखों द्वारा देखा जा सकता है और जब नमूना लिया तब श्री पदम सिंह परमार द्वारा मौके पर फर्द रिपोर्ट बनाई उस फर्द रिपोर्ट में मिसब्राण्ड का हवाला नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जब नमूना लिया तब वह मिसब्राण्ड नहीं था। जब बेसन (सांई कृपा भोग) का नमूना लिया तो किस बैच नंबर, किस मैन्युफैकचरिंग डेट, किस एक्सपायरी डेट/वेस्ट विफोर का नमूना लिया यह बात नमूना लेते समय मौके पर जो फर्द रिपोर्ट बनाई जाती है उस फर्द रिपोर्ट में अंकित नहीं है। अगर उक्त तीनों चीजें सैम्पल लेते समय अंकित नहीं थी तो श्री पदम सिंह परमार फर्द रिपोर्ट बनाते समय कमियां अंकित करते किन्तु फर्द रिपोर्ट में ऐसा अंकन नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बेसन (सांई कृपा भोग) मिसब्राण्ड नहीं था। धारा 46 (4) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कोई सूचना श्याम बाबू पुत्र श्री भगवान को प्राप्त हुई ऐसा कोई अभिस्वीकृति पत्र इस पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस कारण प्रार्थी का धारा 46 (4) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का कीमती अधिकारी मारा गया। इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्राप किए जाने योग्य है; दिनांक 16.07.2011 को श्री पदम सिंह परमार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला धौलपुर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.1.3 के खण्ड 2 व 3 के तहत दी गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी और मानक नियम 2.1.3 के खण्ड 2 व 3 के तहत नियुक्त किये गये खाद्य सुरक्षा अधिकारी इन नियमों के प्रारम्भ से अर्थात नियुक्त होने के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के भीतर खाद्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिपादित विशेष ट्रेनिंग पूरी करेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में श्री पदम सिंह परमार को दिनांक 26.07.2011 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया था और दिनांक 25.07.13 तक श्री पदम सिंह परमार को क्ष्ज्ञाद्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिपादित विशेषकृत ट्रेनिंग पूरी कर लेनी चाहिए थी परन्तु श्री पदम सिंह परमार ने कोई विशेषकृत ट्रेनिंग की ऐसा कोई विशेषकृत ट्रेनिंग प्रमाण पत्र इस पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस कारण पदमसिंह परमार का दिनांक 16.10.21 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी होना साबित नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.1.3 के खण्ड 2 व 3 के परन्तुक की पालना न होने के कारण श्री पदमसिंह परमार द्वारा दिनांक 16.10.21 को सैम्पल (नमूना) लेने की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हो जाती है। अर्थात हो जाती है इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है। दिनांक 16.10.2021 को पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत नमूना लेना बताया है। और नमूना लेना जिस फर्म मैसर्स कल्लूराम खचेरमल मोदी जी का तिराहा दशहरा रोड धौलपुर से बताया है। किन्तु उक्त फर्म मैसर्स कल्लूराम खचेरमल मोदी जी का तिराया दशहरा रोड धौलपुर के विरूद्ध न तो कोई अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है और न ही उसे पृथक से अभियुक्त बनाया गया है। इस कारण स्वीकृति के अभाव में एवं फर्म को मुल्जिम न बनाये जाने के कारण प्रार्थी को

Scanned with OKEN Scanner

दण्डित नहीं किया जा सकता है। इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है। धारा 43 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में कौन–कौनसी प्रयोगशालाएं निरीक्षण करने के लिए मान्य होगी। इस बावत इन प्रयोगशालाओं का राज्य दर राज्य भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यारित प्रयोग शालाओं की सूची राजस्थान राज्य के संदर्भ में जारी हुई। public health laboratory bharatpur (rajasthan) का नाम इस सूची में नहीं है। अर्थात लैब accretade lab नहीं है। इस कारण भरतपुर की लैबोरेट्री के आधार पर प्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भी प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है।

बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने कहा कि मौके से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके से बेसन (सांई कृपा भोग) के 04 कंपनी 500–500 ग्राम के पाउचों में लिया गया जिसको जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया जो कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में लेबल का अध्ययन करने के पश्चात विश्लेषक द्वारा नमूना मिसब्राण्ड पाया जो कि जांच रिपोर्ट में अंकित है। जिस पर बैच नंबर, निर्माण तिथि, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर नहीं दिया गया था नमूने का संपूर्ण विवरण जो कि फॉर्म नंबर बीए पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिखा गया है। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा लॉट नं निल, डेट ऑफ पैंकिंग निल स्पष्ट रूप से लिखा गया। फॉर्म नंबर बीए में ही नमूना विवरण नियमानुसार लिखा जाता है तो कि स्पष्ट रूप से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिखा गया। नमूना मौके पर ही मिसब्राण्ड था। जांच रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट नमूना मिसब्राण्ड पाया गया जो कि जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिए गए नमूने पर बैच नंबर, निर्माण तिथि अंकित नहीं थी इसलिए नमूना मिसब्रांण्ड घोषित हुआ है। यह कथन गलत है कि मौके पर नमूना मिस ब्राण्ड नहीं था। धारा 46(4) की सूचना पत्र कमांक 393 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा दी गई है जिसकी रसीद वक्त बहस पेश कर रहा हूं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के तहत शक्तियां प्रदान की गई है एवं पदस्थापन आदेश 750 दिनांक 06.01.2020 के तहत धौलपुर जिले में पदस्थ है। जो कि शामिल पत्रावली है। उक्त फर्म प्रोपराइटरी फर्म होने के कारण प्रौपराइटर श्याम बाबू गोयल पुत्र श्री भगवान दास के नाम से अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है जो कि फर्म का प्रोपराइटर व्यक्ति है। जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पंजीकृत लैब है।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी ने उक्त पान मसाला (करमचंद) मिसब्राण्ड (Misbrand) का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है । इस प्रकार अप्रार्थीगण उक्त पान मसाला (करमचंद) मिसब्राण्ड (Misbrand) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

Scanned with OKEN Scanner

हालांकि उक्त प्रकरण में The Food Safety and Standards Act, 2006 Ruls 52 एवं विनिमय–2011 के उल्लंघन की दशा में मिसब्राण्ड (Misbrand) में राशि तीन लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक जुर्माना / दण्ड / शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है ,तदापि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थी श्याम बाबू गोयल पुत्र श्री भगवान दास, मैसर्स कल्लूराम खचेरमल मोदी जी का तिराहा दशहरा रोड धौलपुर, निवासी हैदरसाहब का बाडा धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत राशि 51000/– रूपये (इक्यावन हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है । जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट कार्यालय, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner